आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

11/4/19

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 03/2019

रंजय शर्मा एवं अन्य वनाम् सिद्वेश्वर सिंह एवं अन्य

आदेश

यह दाखिल खारिज अपीलवाद रंजय शर्मा, पिता–श्री सियाराम शर्मा, साकिन–बेलखरी, पोस्ट–खजुरी, थाना–करपी, जिला–अरवल के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल खारीज वाद संख्या–866/R–27–18–19 में दिनांक 16.04.2019 को अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व दायर किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	ग्राम	थाना	अंचल
87	722	13 डी०	बेलखरी	करपी	करपी

मौजा–बेलखरी, थाना–करपी, जिला–अरवल

वाद की प्रविष्टी की गई। उतरवादी को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उतरवादी उपस्थित हुए तदानुसार तृतीय पक्षकार श्री केदार शर्मा एवं अटल बिहारी शर्मा को पक्षकार बनाने के विन्दु पर सुनवाई की गई। इस वाद में दोंनों को हस्तक्षेपक बनाया गया और वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि मंगरू मुसहर के नाम से पुराना सर्वे खतियान में दर्ज है।

(2) विवादित भूमि खतियानधारी के वंशज से दिनांक 30.05.1977 को राम जनम सिंह निबंधित वसीका के माध्यम से खरीदकर दखल कब्जा में आये और डिमाण्ड कायम कराकर राजस्व का भुगतान किये जिसका डिमांड संख्या–51/4 चल रहा है।

(3) विवादित भूमि रंजय शर्मा ने दिनांक 20.12.2018 को डिमाण्डधारी के पुत्र सिद्वेश्वर शर्मा एवं सत्यदेव सिंह से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किये। खरीदगी के वाद शांति पूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहे है।

(4) डिमाण्डाधारी रामजनम सिंह अपीलार्थी के विक्रेता सिद्वेश्वर शर्मा और सत्यदेव सिंह के पिता थे।

(5) हस्तक्षेपक केदार शर्मा एवं अटल बिहार शर्मा ने विवादित जमीन को खरीदगी के आधार पर दावा किया है लेकिन खरीदगी रंजय शर्मा के खरीदगी भूमि के बाद का है एवं डिमाण्डाधारी के परिवार विक्रेता नही है।

(6) हस्तक्षेपक के कुटुम्ब श्याम नन्दन सिंह ने विवादित भूमि पर मुंसीफ जहानाबाद के न्यायालय में हकियत वाद संख्या 88/2000 दाखिल किये थे जो दिनांक 19.03.12 को खारिज हो गई जिसमें केदार शर्मा के भाई हरिद्वार सिंह गवाह थे।

(7) हकियत वाद संख्या–88/2000 के आदेश के विरूद्व श्याम नन्दन सिंह द्वारा अपील दायर किया गया जो खारिज किया गया है।

(8) सक्षम न्यायालय मुंसीफ जहानाबाद अपीलार्थी के विक्रेता का हकियत का फैसला हो चुका है। हस्तक्षेपक विपक्षीगण जानबुझकर परेशान करने की नियत से फर्जी कागज तैयार कर दावा कर रहे है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, करपी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–866/R–27–18–19 में पारित आदेश को खारिज करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में दाखिल खारिज करने का आदेश देने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या– 866/R–27 – 18–19 में पारित आदेश के व्यथित होकर इसे खारिज करने के हेतु दाखिल किया गया है।

(2) विवादित भूमि मंगरू मुसहर के नाम पर खतियानी भूमि था जो अपने एक पुत्र महेन्द्र भुईया और तीन लड़कियॉ जगीया देवी, वृहस्पति देवी एवं करोसा देवी को छोड़कर मर गये।

(3) खतियानी भूमि का वंशावली निम्नवत है:–

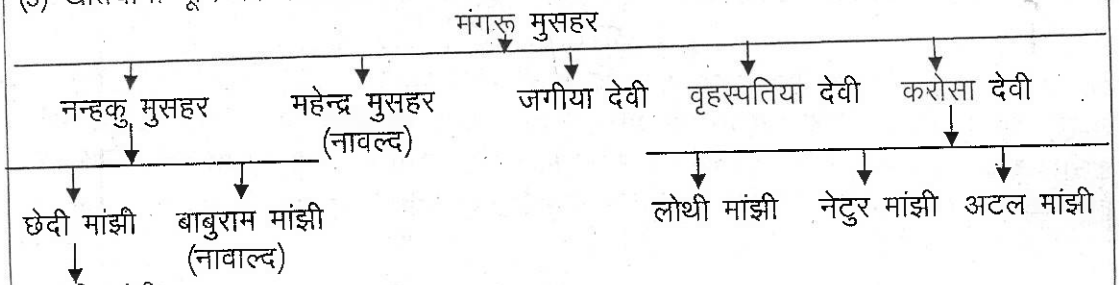

(4) दाखिल खारिज अपील वाद काल बाधित है जिसे खारिज किया जाय।

(5) मंगरू मुसहर दो पुत्र एवं तीन लड़कियॉ को छोड़कर 1928 में मर गये। नन्हकु मुसहर भी अपने दो लड़के कमशः छेदी मांझी (एक लड़का) एवं राम बाबु मांझी छेदी मांझी के साथ रहते हुए मर गये।

(6) मंगरू मुसहर के लड़का महेन्द्र मुसहर नावल्द अपने भाई नन्हकु मुसहर के साथ रहते हुए मर गये और नन्हुक मुसहर सम्पूर्ण संपति का मालिक हो गया। नन्हकु मुसहर के लड़का बाबुराम मांझी, छेदी मांझी के साथ रहते हुए नावल्द मर गये जो छेदी मांझी विवादित भूमि का उतराधिकारी हो गया। मंगरू मुसहर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 के पहले पिता द्वारा छोड़ी गई संपति का उतराधिकारी लड़कियॉ नही होती थी। ऐसी हालत में मंगरू मुसहर की लड़कियॉ का मंगरू मुसहर द्वारा छोड़ी गई संपति में कोई हक अधिकार नही था।

(7) उतरवादी फगुनी मांझी से दिनांक 05.01.2019 को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किये है। खरीदगी के पहले इस जमीन पर दखल कब्जा था। रामजनम सिंह होशियार, चालाक व्यक्ति थे जो जाल रचकर रामजनम सिंह रैयती खतियान को बिना सूचना दिये अपने नाम से मिली भगत से प्रभाव देकर डिमाण्ड अपने नाम खुलवा लिये। दाखिल खारिज नियमों का बिना पालन किये डिमाण्ड खोलवा लिये जबकि सचाई यह है कि करौसा देवी या उनके लड़कों के नाम से कभी डिमाण्ड नही खुला और ना ही इन लोगों को हक अधिकार और दखल कब्जा ही था और ना ही राम जनम सिंह का कभी दखल कब्जा में आये।

(8) राम जनम सिंह का केवाला बनावटी है जिसमें पहचान राम प्रवेश सिंह, राम जनम सिंह के चचेरे भाई है और गवाह राम निहोरा सिंह फुफेरा भाई है जबकि 2018 का केवाला पर गवाह बेंकटेश कुमार और रमेश शर्मा विकेता सिद्वेश्वर सिंह के लड़के है।

(9) उभय पक्षों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादित जमीन मंगरू मुसहर की खतियानी भूमि थी लेकिन दोंनों पक्षों के बीच खतियानी रैयत का वंशावली विवादित है। अपीलार्थी ने कहा है कि मंगरू मुसहर का कोई लड़का नही था। रामजतन सिंह के विकेता नेटुर मांझी और अटल मांझी या इन दोंनों की मॉ के नाम डिमाण्ड कायम नही हुआ। ऐसी परिस्थिति में राम जतन सिंह का नाम मॉग पंजी में कायम होना सेदेहास्पद प्रतीत होता है। डिमाण्डाधारी राम जतन सिंह का जमीन पर दखल कब्जा प्राप्त नही है और ना ही अपीलकर्ता के विकेता का दखल कब्जा प्राप्त है। किसी भी जमीन का दखल खारिज करने के पहले कब्जा देखना अति आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी, करपी द्वारा पारित आदेश विल्कुल ही पोषणीय है और कानुन के दृष्टिकोण से सही है।

(10) विवादित भूमि पर पारित आदेश माननी न्यायालय मुसिंफ जहानाबाद द्वारा हकियत वाद संख्या–88/2000 के द्वारा सिद्वेश्वर शर्मा और सत्यदेव सिंह के पक्ष में दिनांक 29.03.2012 को

हुआ। निर्णय से स्पष्ट है कि श्याम नन्दन सिंह के द्वारा हकियत वाद सिद्वेश्वर शर्मा और सत्यदेव सिंह के विरूद्व लाया गया था। इस वाद में खतियानी रैयत को पक्षकार नही बनाया गया था और ना ही इन उतरवादी या इनके विकेता को पक्षकार बनाया गया था। कानुन में नियम है कि किसी भी फैसला का प्रभाव उसपर नही पड़ता है जो पक्षकार नही है। ऐसी परिस्थिति में हकियत वाद संख्या–88/2000 पारित आदेश उतराधिकारी पर प्रभावहीन है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, करपी द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्ष को सुना। वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–866/R–27–18–19 में दिनांक 16.06.2019 में पारित आदेश अंचल अधिकारी, करपी के आदेश के विरूद्व यह अपीलवाद दायर किया है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि को श्री सिद्वेश्वर शर्मा एवं श्री सत्यदेव सिंह से वसीका संख्या–6185 दिनांक 20.12.2018 से खरीद किया है। विकेता के पिता श्री रामयतन सिंह ने विवादित भूमि श्री मैटुर मांझी, पिता–श्री दमड़ी मांझी से वसिका संख्या–5623 दिनांक 23.05.1977 को खरीदगी भूमि है। रामयतन सिंह ने खतियानी रैयत के पोती से भूमि खरीद किये थे। उतरवादी ने विवादित भूमि खतियानी रैयत के परपोता फगुनी मांझी, पिता–स्व० छेदी मांझी से वसीका संख्या–49 दिनांक 05.01.2019 को खरीद किया। विवादित भूमि मंगरू मुसहर के नाम से खतियानी भूमि है। अंचल अधिकारी, करपी के दाखिल खारिज वाद संख्या–866/R–27–18–19 का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि श्री केदार शर्मा वो अटल बिहारी शर्मा, पिता–स्व० राजेन्द्र सिंह ने भी वजरीये वसीका संख्या–49 दिनांक 05.01.2019 के द्वारा खरीद किया है पुनः इस भूमि को आवेदक ने वजरीये वसीका संख्या–6185/2017–2018 को खरीद किया है और दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया है दोंनों के बीच कब्जे को लेकर विवाद है यह मामला हकियत से संबंधित है। अतः सक्षम न्यायालय के विचारों उपरान्त एवं कब्जे को लेकर विवाद के कारण दाखिल खारिज की स्वीकृत नही दी जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, करपी के दाखिल खारिज वाद संख्या–866/R–27–18–19 में पारित आदेश सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत् भूमि पर वादी का शांति पूर्वक दखल कब्जा सिद्व नही है। अतः अंचल अधिकारी, करपी द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी एवं उतरवादी एक ही खाता, प्लॉट की भूमि का खरीदी किये है जिसे उक्त भूमि पर हक–हकियत का मामला बनता है। अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय में हकियत वाद दायर कर सकते है। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11/11/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

11/11/19

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।